न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 09/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 राजाराम शर्मा पुत्र किशनलाल कृषि मण्डी के पास, जायल, जिला नागौर फर्मः– शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी जायल 2 शिवकुमार राठौर, बृजमोहन राठौर, दिनेश राठौर, महेश राठौर, डायरेक्टरगण निवासीगण 34/2, रामरती भवन, विभवनगर, आगरा फर्मः– महेश एडिबल ऑयल इन्ड लि. कठारी (कोटा)

आदेश

दिनांक :27.05.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-10-2012 को मैसर्स शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (स्टे फिट ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 320 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/617/एक्ट/2012/617 दिनांक 05.11.2012 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ सोयाबीन तेल (स्टे फिट ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजाराम शर्मा पुत्र किशनलाल कृषि मण्डी के पास, जायल, जिला नागौर शिवकुमार राठौर, बृजमोहन राठौर, दिनेश राठौर, महेश राठौर, निवासीगण 34/2, रामरती भवन, विभवनगर, आगरा ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 06-02-2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 02 की तरफ से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता ने दिनांक 21.10.21 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सख्या 01 ने दिनांक 16.04.2014 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया एवं जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से सोयाबीन रिफाईण्ड तेल स्टेफिट का नमूना लिया। जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। मैं यह तेल बाहर से खरीदकर लाता हूं एवं उसी को बेचता हूं, उक्त सोयाबीन तेल मिसब्राण्ड होना निर्माता की कानूनन जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में सोयाबीन तेल खरीदते समय गुणवता का ध्यान रखूंगा तत्पश्चात बेचूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 27.05.2022 को अपना जवाब पेश किया एवं अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थी संख्या 02 पर जो आरोप लगाया गया है, वह उसे लोक अदालत की भावना से स्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जुर्म की पुनरावृति कभी भविष्य में नहीं की जाएगी तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/617/एक्ट/2012/617 दिनांक 05.11.2012 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (स्टे फिट ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 राजाराम शर्मा पुत्र किशनलाल कृषि मण्डी के पास, जायल, जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 शिवकुमार राठौर, बृजमोहन राठौर, दिनेश राठौर, महेश राठौर, निवासीगण 34/2, रामरती भवन, विभवनगर, आगरा पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये कुल रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)